



**जोधपुर विद्युत  
वितरण निगम  
लिमिटेड**

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.-सी.)/फा /प्रे. 909 दि. 12.10.17

आदेश


विषय:- कृषि मीटर्ड श्रेणी के मीटर बन्द/खराब होने की स्थिति में ऊर्जा खपत के आकलन के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आदेश क्रमांक जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.-सी.)/फा /प्रे. 772 दिनांक 11.09.2017

पूर्व में आदेश क्रमांक 772 दिनांक 11.09.2017 (वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम-815) द्वारा कृषि मीटर्ड श्रेणी के मीटर बंद/खराब होने की स्थिति में ऊर्जा खपत के आंकलन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। उक्त आदेश वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम-815 को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

सभी क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि यदि उक्त आदेश के अनुसार ऊर्जा खपत आंकलन कर दिया गया है तो उसे निरस्त करते हुये पूर्व की भांति ऊर्जा खपत का आंकलन कर अंतर की राशि का आगामी बिलों में समायोजन करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से



(एम. आर. मीणा)

अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

पेज 02 का 01